MR. SPEAKER: Let us confine ourselves to Kashmir.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But they have not confined to Kashmir.

MR. SPEAKER: But you can.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Yes, I can. In that case, I have nothing more to add to what I have already said.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

NINETY-SEVENTH REPORT

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): I beg to present the Ninety-seventh Report of the Public Accounts Committee on action taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty-eighth Report relating to the Ministry of Finance.

PETITION RE. GRIEVANCES AND DEMANDS OF EMPLOYEES OF NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): I beg to present a petition signed by Shri N. R. Karmaran, Vice President, National Confederation of General Insurance Employees, Bombay regarding grievances and demands of employees of New India Assurance Company Ltd

---

12.38 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED TO REVIEW THE WORKING OF THE INDUSTRIAL UNDERTAKINGS

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत बीमार औद्योगिक प्रतिष्ठान, बन्द हुए औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा उस में लगी सरकार की पूंजी की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यद्यपि वर्तमान सरकार की औद्योगिक नीति काफी उदात्त व्यावहारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में गति के साथ एक नई दिशा देने वाली है तथापि, पिछली सरकार के अनेक निर्णयों व तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति के फलस्वरूप देश में निरन्तर औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीमार होने की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः सरकार को इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करना आवश्यक है। हाल ही में इकानामिक टाइम्स तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार दिसम्बर, 76 में लगभग 241 ऐसे यूनिट बीमार थे जिन में 1 करोड़ से अधिक का बैंक क्रेडिट था तथा यह संख्या सितम्बर, 77 में 270 हो गई। स्वाभाविक था कि इसी अनुपात में क्रेडिट ब्लाक भी बढ़ता और यह बढ़ कर 774 करोड़ हो गया, तथा दिसम्बर, 77 के अन्त तक यह राशि 858 करोड़ तथा यूनिट्स की संख्या 290 के लगभग हो गई। इस में एन०टी०सी० द्वारा अधिगृहीत मिलें सम्मिलित नहीं हैं न उस में लगाई गई या लगी राशि ही इस में जोड़ी गई है। वह राशि भी करोड़ों में है। साथ ही ऐसे अनेक माध्यम तथा छोटे यूनिट्स हैं जो बड़े उद्योगों की श्रेणी में तो नहीं है किन्तु उन में भी अनुमानतः 200 से 300 करोड़ तक का क्रेडिट सम्मिलित है। हाल ही में चीनी मिलों के अधिग्रहण हेतु भी अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है जिसके क्रियान्वयन पर भी करोड़ों की राशि लगेगी ही। अतः यह आवश्यक है कि समस्त स्थिति पर पुनर्विचार किया जाय तथा एक ऐसी नीति निर्धारित की जाय कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बंद होने अथवा बीमार या खराब होने की स्थिति तक पहुंचने न बैंकों को या सरकार को करोड़ों रुपया ब्लाक करना पड़े, जिसे सरकार अन्य विकास कार्य में लगा कर सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है।

आशा है कि माननीय उद्योग मंत्री व वित्त मंत्री जी इस बारे में उठाये गए कदम व प्रस्तावित अन्य उपायों से सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

(ii) SMALL SCALE INDUSTRIES SITUATED IN BACKWARD AND TRIBAL AREAS.

SHRI R. K. MHALGI (Thana): Mr. Speaker, with your kind permission, I want to make a statement on an urgent public matter under rule 377. Government is attributing very high priority to the development of industries in rural and particularly backward areas. The essential requisite for the success of such programme is the creation of favourable infrastructure, availability of raw materials competitively at cheaper rates, on an equitable basis so that it can stand competition with big manufacturers in the market. There are about 5.500 foundries in the country of which about 1500 are in the rural areas under the small scale sector.

Their basic raw material is pig iron. Unfotunately the government policy for the distribution of this essential raw material is favouring large units which are capable of investing heavy amounts to make bulk indents, thus derogating the vital interests of the small scale foundries and jeopardising their very survival. For this purpose, pending a regular solution to the problem, for the benefit of small scale industries which are in the backward and tribal areas operating in rural or semi urban locations and are isolated from industrial pockets as such, such units may be permitted to draw their requirements of pig iron raw material either from the plants or stockyards at the JPC's prices and traffs and box wagon loads.

श्री मनो राम बागड़ी : (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। किसानों की पैदावार के भावों के बारे में रोज़ चर्चा रहती है। सारे देश के किसानों में इस बात को लेकर बड़ी बैचेनी है। किसानों ने पार्लियामेण्ट के सामने कपास को जलाया है। आखिर डा लोहिया ने खेती और कल कारखानों की पैदावार की निस्बत जो बताया है उसके लिए यहां पर नियम 377 के अन्तर्गत बयान देने से बात नहीं बनेगी। सदन इस बात पर खुल कर यहां बहस करे और कुछ नतीजा निकाले जिससे कि किसानों को राहत पहुंचे सके। आज हिन्दुस्तान के किसानों की कमर टूट रही है। आज कपास की कोई कीमत नहीं रह गई है, गेहूं की व्यवस्था भी खराब है। इसी तरह से गन्ना और गुड़ की हालत हो रही है। इसलिए 377 से इसमें कोई बात बनने वाली नहीं है। इस पर पूरी बहस के लिए आप समय दीजिए। 23 दिसम्बर, को यहां पर देश भर के किसानों का सम्मेलन होने वाला है। इस सदन को इस बारे में बहस करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री बेगाराम चौहान (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर प्रधान मंत्री जी विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां पर कई दफ़ा कपास नरमा के सम्बन्ध में चर्चा हुई है। भूतपूर्व सरकार के समय में भी 500 रुपये नरमा का भाव था लेकिन आज 200 रुपये का भाव रह गया है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम किसानों को लूटा जा रहा है और कोई भी सुनने वाला नहीं है।

MR. SPEAKER: He is raising the same question. Mr. Jnaneswar Mishra.

श्री बेगाराम चौहान : किसानों को लूटा जा रहा है....

MR. SPEAKER: This is not a point of order. You have made your point.

श्री बेगा राम चौहान : अध्यक्ष महोदय.. **

MR. SPEAKER: Don't record.

(iii) Fixation of Procurement prices of wheat etc. by the Agricultural Prices Commission.

श्री जनेश्वर मिश्र : (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, खेती के मामले को उठाने के लिए आप ने मुझे इजाज़त दी है, इसी तरह से इस सदन में दामों के मामले में डा० लोहिया ने भी कई बार चर्चा उठाई थी। खेती से पैदा होने वाली चीज़ों का वाजिब दाम मिल सके, इस के लिए चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में संघर्ष का वातावरण तैयार हो रहा है...

MR. SPEAKER: Yuo are not confining yourself to the statement.

श्री जनेश्वर मिश्र : कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश, कि गेहूं का वसूली मूल्य 115 रुपया प्रति क्विंटल किया जाय, के विरुद्ध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कई राज्यों ने, जिन में उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह भी हैं, मांग की है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित दाम बहुत कम हैं और इसे बढ़ाया जाय। जिस रफ्तार से खाद, बिजली तथा कृषि में काम आने वाले दूसरे साधनों के मूल्य बढ़े हैं, उस के मुकाबले में कृषि उत्पादन का मूल्य बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ा है। खेती और कारखाने के मूल्य में संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार ने आज तक कोई भी निश्चित फार्मूला नहीं तय किया है। आम तौर पर से खेती के कच्चे माल पर कारखाने का पक्का माल तैयार होता है। जहां तक खाद्यान्न का सवाल है, वह भी कारखाने के उत्पादन मूल्य और लागत मूल्य के मुकाबले में बहुत ही सस्ता पड़ता है। दफ़्तर और कारखानों में काम करने वाले मजदूर अपने बोनस और महंगाई की लड़ाई संगठित तरीके से लड़ लेते हैं। उन के महंगाई का मुद्दा खाद्यान्न की महंगाई, कीमत के घट-बढ़ पर निर्भर करता है। किसान की महंगाई का मुद्दा कारखाने के उत्पादन की महंगाई के घट-बढ़ पर निर्भर करेगा। आज तक इस सवाल पर कभी भी गम्भीरता से विचार नहीं किया गया। मैं कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध जो देश के कई राज्यों ने मांग की है, उस पर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सदन के सामने एक वक्तव्य दें ताकि एक स्पष्ट और कल्याणकारी दाम नीति तय हो सके। जिस कृषि उत्पादन का मूल्य भी बांधा जा सके और कारखाने के उत्पादन का मूल्य भी बांधा जा सके।

**Not recorded.